

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2017

जयपुर, दिनांक : 04.09.2017

आदेश

जिला बांसवाडा में नवजात शिशुओं की मृत्यु के प्रकरण की जांच रिपोर्ट के मद्देनजर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निम्नांकित अधिकारियों को तुरन्त प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाता है:-

1. डा. मनीषा चौधरी, आर. सी. एच. ओ., बांसवाडा
2. डा. दिव्या पाठक, प्रमुख विशेषज्ञ (गायनी), जिला चिकित्सालय, बांसवाडा
3. डा. ओ. पी. उपाध्याय, प्रमुख विशेषज्ञ (गायनी), जिला चिकित्सालय, बांसवाडा
4. डा. जयश्री जैन (हुम्मड), प्रमुख विशेषज्ञ (गायनी), जिला चिकित्सालय, बांसवाडा
5. डा. शालिनी नानावाटी (शर्मा), कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी), जिला चिकित्सालय, बांसवाडा


उक्त अधिकारियों का आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के दौरान मुख्यालय निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

५।९।१७
(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय ।
- 2- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय ।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
- 4- निदेशक, जनस्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिकारियों के विरुद्ध सीसीए नियम-17 के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिए आरोप पत्रादि अविलम्ब इस विभाग को भिजवावें।
- 5- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन उदयपुर
- 6- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, बांसवाडा
- 7- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा
- 8- संबंधित अधिकारी
- 9- कम्प्यूटर सेल
- 10- निजी /रक्षित पत्रावली
- 11- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को संबंधित को ई-मेल करावें एवं विभाग की वैबसाईट पर आज ही अपलोड करावें।


(मोहन लाल वर्मा)
शासन सहायक सचिव